प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला अलवर, थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. ......9/22...... दिनांक.......12/1/22.......
2. (I) अधिनियम–धाराये. 7 भ्रष्टाचार निवारण(संशोधित)अधिनियम 2018 .
(II) अधिनियम .... धारायें ....
(III) अधिनियम .... धारायें ....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....299 समय......6:00 P.M.
(ब) अपराध घटने का दिन व दिनांकः– मंगलवार, 11.01.2022 समय 12.37 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 09.1.2022 समय 09.30 ए0एम0
4. सूचना की किस्म :– लिखित
5. घटनास्थल :– कार्यशाला(वर्कशॉप), आर0एस0आर0टी0सी0 तिजारा आगार, तिजारा
(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– करीब 55 कि0मी0 लगभग, उत्तर दिशा में
(ब)पता – कार्यशाला(वर्कशॉप), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, तिजारा आगार, तिजारा, जिला अलवर।

बीट संख्या.........................जयरामदेही सं................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा
(ब) पिता/पति का नाम – श्री हरिराम शर्मा
(स) जन्म तिथी/वर्ष ....करीब 55 वर्ष..
(द) राष्ट्रीयता ....भारतीय...
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय– रोडवेज चालक
(ल) पता– ग्राम–पोस्ट सिकरोरी, तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर, हाल चालक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, तिजारा आगार, तिजारा, जिला अलवर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –
श्री दीप चन्द सांखला पुत्र स्व. श्री रतन लाल सॉंखला, उम्र 35 साल, निवासी वार्ड नं. 19, मौहल्ला खटीकान, नवलगढ, पुलिस थाना नवलगढ, जिला झुन्झूनु हाल कनिष्ठ अभियन्ता–बी, प्रबन्धक संचालन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम तिजारा आगार, तिजारा, जिला अलवर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.... कोई नहीं.
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ट्रेप रिश्वती राशि– 6,000/–रूपये एवं संदिग्ध राशि 8560 रूपये
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य ......रिश्वती राशि 6,000/–रूपये एवं संदिग्ध राशि 8560 रूपये
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

सेवामें, श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक ए.सी.डी. अलवर। विषयः– तिजारा रोडवेज डिपो पर तैनात श्री दीपचन्द सॉखला प्रबन्धक संचालक(MO) को रिश्वत लेते हुऐ पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैं लक्ष्मण प्रसाद तिजारा–उदयपुर मार्ग पर गाडी चलाता हूँ। दिनांक 1.12.21 को मैं बीमार हो गया था जिसकी सूचना व डाक्टर की पर्ची व मेडिकल सिकनेस सर्टिफिकेट दिनांक 1.12.21 को ही MO तिजारा डिपो को भिजवाया दिया था इसके बाद मैं दिनांक 15.12.2021 को MO सहाब को मेरी बीमारी से सही होने का मेरा डा0 द्वारा जारी मेडिकल फिटनेट सर्टिफिकेट सहित प्रार्थना पत्र पेश कर डयूटी पर उपस्थित हो गया। इसके

बाद श्री दीप चन्द सॉखला (MO) तिजारा डिपो मेरी तिजारा उदयपुर डयूटी लगाने के 1000 रू प्रति माह रिश्वत के एवं मेरी बीमारी के समय की मेडिकल अवकाश स्वीकृत करने की एवज में 5000 रू रिश्वत के इस प्रकार कुल 6000 रू0 रिश्वत की मॉग कर रहा है। तथा मैं मेरे उक्त कार्य के लिए श्री दीप चन्द सॉखला (MO) सहाब से कईबार मिल चुका किन्तु वे बिना रिश्वत के पैसे लिए मेरी तिजारा–उदयपुर मार्ग पर लगातार डयूटी नही लगा रहा है। और नाही ही मेरी उक्त बीमारी के समय की मेडिकल अवकाश स्वीकृत कर रहें है। मैं(MO) दीप चन्द सॉखला को मेरे जायज काम की एवज में रिश्वत नही देना चहाता हूँ तथा उसे रिश्वत लेते हुए को पकडवाना चहाता हूँ। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। दिनांक–9.1.2022 हस्ता0, प्रार्थी, लक्ष्मण प्रसाद S/o हरीराम गॉव व पोस्ट सिकरोरी त0 कुम्हेर जिला भरतपुर हाल चालक R.S.R.T.C. तिजारा डिपो जिला अलवर M.N. 07239834820

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 09.1.2022 को समय 09.30 ए0एम पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर पर मन् पुलिस निरीक्षक के सम्मुख परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ने श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ए0सी0बी0, अलवर को सम्बोधित उक्त लिखित प्रार्थन पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुये बताया कि मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, तिजारा आगार में चालक के पद पर कार्यरत हूँ तथा तिजारा–उदयपुर मार्ग पर गाडी चलाता हूँ। दिनांक 1.12.21 को मैं बीमार हो गया था, जिसकी सूचना व डाक्टर की पर्ची व मेडिकल सिकनेस सर्टिफिकेट दिनांक 1.12.21 को ही एम0ओ0 तिजारा डीपो को भिजवा दिया था। इसके बाद मैं दिनांक 15.12.2021 को एम0ओ0 साहब को मेरी बीमारी से सही होने पर मेरा डाक्टर द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सहित प्रार्थना पत्र पेश कर डयूटी पर उपस्थित हो गया था। इसके बाद श्री दीपचन्द सांखला, एम0ओ0 तिजारा डीपो मेरी तिजारा–उदयपुर मार्ग पर डयूटी लगाने के 1000 रू0 प्रति माह रिश्वत के एवं मेरी बीमारी के समय की मेडिकल अवकाश स्वीकृत करने की एवज में 5000 रू0 रिश्वत के इस प्रकार कुल 6000 रू0 रिश्वत की मांग कर रहा है तथा मैं मेरे उक्त कार्यो के लिये श्री दीपचन्द सांखला, एम0ओ0 साहब से कईबार मिल चुका हूँ किन्तु वे बिना रिश्वत के पैसे लिए मेरी तिजारा–उदयपुर मार्ग पर लगातार डयूटी नही लगा रहा है और ना ही मेरी उक्त बीमारी के समय की मेडिकल अवकाश स्वीकृत कर रहा है। मैं, एम0ओ0 श्री दीपचन्द सांखला को मेरे जायज काम की एवज में रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा उसे रिश्वत लेते हुये को पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी ने श्री दीप चन्द सांखला, प्रबन्धक संचालन (एम0ओ0), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, तिजारा आगार, जिला अलवर से कोई उधार लेन–देन बकाया नही होना और ना ही कोई रंजिश होना बताया। परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। दौराने पूछताछ परिवादी ने अपनी पहचान स्वरूप अपने आधार कार्ड की एवं विभागीय परिचय पत्र की छायाप्रतियों पर स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया, जिनको संलग्न पत्रावली किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाया जाने पर कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 8 GB लगाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी के समक्ष श्री महेश कुमार कानि0 460 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा को हिदायत दी गई कि वह श्री दीप चन्द सांखला, प्रबन्धक संचालन (एम0ओ0), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, तिजारा आगार, जिला अलवर के पास जाकर, अपनी डयूटी तिजारा–उदयपुर मार्ग पर लगाने एवं अपनी बीमारी के समय की अनुपस्थिति अवधि की मेडीकल अवकाश स्वीकृत करने के क्रम में श्री दीप चन्द सांखला, प्रबन्धक संचालन (एम0ओ0) द्वारा रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता करे तथा श्री दीप चन्द सांखला, प्रबन्धक संचालन (एम0ओ0) से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर मन पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्रस्तुत करें, इस पर परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ने बताया कि आज मैं श्री दीप चन्द सांखला, प्रबन्धक संचालन (एम0ओ0) के पास जाउगा तो वह आज मेरे से 1000 रू0 रिश्वत के प्राप्त करके मेरी डयूटी लगायेगा और मुझे आज डयूटी पर जाना है। मैं आज तिजारा जाकर रिश्वत मांग का सत्यापन तो करवा दूंगा किन्तु मुझे तिजारा से वापस अलवर आने में काफी समय लग जायेगा तथा डयूटी पर जाने में लेट हो जाउगा। इसलिये मैं रिश्वत मांग के सत्यापन के बाद आज वापस अलवर नही आ सकता। श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के

निर्देश कर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी के पास भेजे तथा आज परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा द्वारा संदिग्ध आरोपी श्री दीप चन्द सांखला, एम0ओ0 को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाली 1000 रू0 की राशि के नोटों की पहचान हेतु अपने मोबाईल फोन में नोटों की फोटों लेकर अपने पास सुरक्षित रखे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। परिवादी व श्री महेश कुमार कानि0 462 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया।

वक्त करीब 05.00 पी0एम0 पर श्री महेश कुमार कानि0 462 ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आया तथा श्री महेश कुमार कानि0 ने रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत कर बताया कि मैं व परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ब्यूरों कार्यालय अलवर से रवाना होकर तिजारा में स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, तिजारा आगार की कार्यशाला (वर्कशॉप) के पास पहुंचे। जहॉ पर परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ने रिश्वत मांग सत्यापन के समय संदिग्ध आरोपी श्री दीप चन्द सांखला को 02 नोट 500–500 रू0 के कुल राशि 1000 रू0 रिश्वत की देने हेतु मन कानि0 को बताया, जिस पर मैंने परिवादी द्वारा संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली 1000 रू0 रिश्वत राशि के 500–500 रूपये के दोनों नोटों की पहचान स्वरूप अपने मोबाईल में फोटो लेकर सुरक्षित किया, जिनके नम्बर 6AN 255551, 3SE 452260 हैं। इसके बाद मैंने अपने पास से ए0सी0बी0 का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा को दिया, जिसे परिवादी अपने साथ लेकर श्री दीप चन्द सांखला, प्रबन्धक संचालन के पास उसके कार्यालय में तिजारा आगार की वर्कशॉप में चला गया और में वर्कशॉप के बाहर ही रूक गया था। समय करीब 50 मिनट बाद परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा मेरे पास आया और अपने पास से ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर निकालकर मुझे दिया, जिसको मैंने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ने मुझे बताया कि मैं वर्कशॉप के अन्दर श्री दीपचन्द सांखला, एम0ओ0 के पास उसके कार्यालय में गया तो वहा पर वह मुझे मौजूद नही मिला, जिस पर मैं वर्कशॉप से बाहर आ रहा था, तब वह मुझे रास्ते में मोटर साईकिल से मिला, जिसने मुझे अपने साथ अपनी मोटर साईकिल पर बैठाकर वापस वर्कशॉप के अन्दर लेकर गया। मैंने मोटर साईकिल पर ही उससे मेरे कार्य के सम्बन्ध में वार्ता की तो उसने मेरी डयूटी लगाने के लिये मुझे 1000 रू0 देने के लिये कहा, जिस पर मैंने उसे अपने पास से 1000 रू0 दे दिये, तब उसने मुझे कहा कि टेन्शन मत कर अब मैं तेरी डयूटी लगा दूंगा तथा वर्कशॉप में पहुंचकर मैंने उससे मेरे मेडिकल अवकाश के सम्बन्ध में वार्ता की तो उसने मेरे को 5000 रू0 रिश्वत के और देने के लिये कहा है तथा रिश्वत की राशि लेकर दिनांक 11.01.2022 मंगलवार को दोपहर तक लेकर बुलाया है। मेरे व प्रबन्धक संचालन (एम0ओ0) के बीच रिश्वत मांग के क्रम में जो वार्ता हुई, उन सभी बातों को मैंने डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। परिवादी ने मुझे यह भी बताया कि आज उसको डयूटी पर उदयपुर जाना है तथा वह दिनांक 11.01.2022 को प्रातः अपनी डयूटी से मुक्त होगा, तब वह दिनांक 11.01.2022 को रिश्वत राशि 5000 रू0 सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु समय करीब 07.30 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय अलवर में उपस्थित हो जायेगा। इस पर मैं परिवादी को तिजारा ही छोडकर वहा से रवाना होकर ब्यूरों कार्यालय में आ गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 द्वारा सुपुर्द टेपरिकार्डर को चलाकर सुना तो उक्त में रिश्वत मांग सम्बन्धी उक्त तथ्य रिकार्ड होना तथा रिश्वत मांग का सत्यापन होना पाया गया तथा श्री महेश कुमार कानि0 द्वारा बताये गये कथनों की ताईद हुई तथा रिश्वत मांग का सत्यापन होना पाया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने उक्त वार्ताओं के रिकार्डशुडा डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखा तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 के मोबाईल में से उक्त 500–500 रू0 दोनों नोटों की पहचान स्वरूप ली गई फोटों का प्रिन्ट निकालकर कर संलग्न पत्रावली किया गया।

दिनांक 10.1.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु खनि अभियन्ता, अलवर के नाम तहरीर जारी कर दो कर्मचारी स्वतंत्र गवाह हेतु तलब किये गये। तलबी पर श्री मनोज शर्मा, वरिष्ठ सहायक एवं श्री उदय सिंह मीणा, कनिष्ठ सहायक, खनिज विभाग, अलवर एसीबी कार्यालय अलवर आये। उक्त दोनों गवाहान को दिनांक 11.01.2022 को समय 07.30 ए0एम0 कार्यवाही हेतु ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रवाना किया गया।

दिनांक 11.01.2022 को समय 07.30 ए.एम. पर गवाह श्री मनोज शर्मा, वरिष्ठ सहायक एवं श्री उदय सिंह मीणा, कनिष्ठ सहायक ए0सी0बी0 कार्यालय में उपस्थित आये जिन्हे कायालय में बैठाया गया। तत्पश्चात समय 07.35 ए0एम पर परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, ब्यूरों कार्यालय, अलवर में उपस्थित आया तथा मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि दिनांक 09.01.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु मैं व आपका कर्मचारी श्री महेश कुमार, ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर से रवाना होकर तिजारा में स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, तिजारा आगार की कार्यशाला (वर्कशॉप) के पास पहुंचे। जहॉ पर मैंने रिश्वत मांग सत्यापन के समय संदिग्ध आरोपी श्री दीप चन्द सांखला को 02 नोट 500–500 रू0 के कुल राशि 1000 रू0 रिश्वत की देने हेतु श्री महेश कुमार कानि0 को बताया था, जिस पर महेश कुमार कानि0 ने मेरे द्वारा संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली 1000 रू0 रिश्वत राशि के 500–500 रूपये के दोनों नोटों की पहचान स्वरूप अपने मोबाईल में फोटों लेकर सेव किया था, जिनके नम्बर मैंने भी देखे थे। उक्त दोनों नोटों के नम्बर 6AN 255551, 3SE 452260 थे। इसके बाद महेश कुमार कानि0 ने अपने पास से ए0सी0बी0 का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर मेरे को दिया, जिसे मैं अपने साथ लेकर श्री दीप चन्द सांखला, प्रबन्धक संचालन के पास उसके कार्यालय में तिजारा आगार की वर्कशॉप में चला गया और श्री महेश कुमार कानि0 बाहर ही रूक गया था। मैं वर्कशॉप के अन्दर श्री दीपचन्द सांखला, एम0ओ0 के पास उसके कार्यालय में गया तो वहा पर वह मुझे मौजूद नही मिला, जिस पर मैं वर्कशॉप से बाहर आ रहा था, तब वह मुझे रास्ते में मोटर साईकिल से मिला, जिसने मुझे अपने साथ अपनी मोटर साईकिल पर बैठाकर वापस वर्कशॉप के अन्दर लेकर गया। मैंने मोटर साईकिल पर ही उससे मेरे काम के बारे में बातचीत की तो उसने मेरी डयूटी लगाने के लिये मुझे 1000 रू0 देने के लिये कहा, जिस पर मैंने उसे अपने पास से 500–500 रू0 के दो नोट 1000 रू0 दे दिये, तब उसने मुझे कहा कि टेन्शन मत करों और परेशान मत हो अब मैं तेरी डयूटी तिजारा–उदयपुर मार्ग पर लगा दूंगा तथा वर्कशॉप में पहुंचकर मैंने उससे मेरे मेडिकल अवकाश के सम्बन्ध में बातचीत की तो उसने मेरे को 5000 रू0 रिश्वत के और देने के लिये कहा है, जिस पर मैने उसे दो–एक दिन में रिश्वत के पैसे देने के लिये कहा तो उसने मुझे रिश्वत की राशि लेकर दिनांक 11.01.2022 मंगलवार को दोपहर देने के लिये कहा है। दिनांक 09.01.2022 को मेरे व दीपचन्द साखला, प्रबन्धक संचालन (एम0ओ0) के मध्य आपस में हुई, उन सभी बातों को मैंने, श्री महेश कुमार कानि0 द्वारा मुझे तिजारा में दिये गये डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। इसके बाद मैं श्री महेश कुमार के पास आकर ए0सी0बी0 का डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री महेश कुमार को दे दिया था, जिसे श्री महेश कुमार कानि0 ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। मैंने वहा पर श्री महेश कुमार कानि0 को उक्त सभी बाते बता दिया था और मैंने उस समस यह भी बताया था कि मुझे आज डयूटी पर उदयपुर जाना है तथा मैं दिनांक 11.01.2022 को सुबह अपनी डयूटी से ऑफ होउगा। इसलिये मैंने उस दिन महेश कुमार कानि0 के साथ वापस अलवर आने में असमर्थता व्यक्त किया था तथा आज दिनांक 11.01.2022 को रिश्वत राशि 5000 रू0 सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर में आने के लिये कहा था। जिस पर श्री महेश कुमार कानि0 मुझे तिजारा ही छोडकर वह अलवर के लिये रवाना हो गया था। तत्पश्चात कार्यालय में उपस्थित दोनों गवाहान का परिचय परिवादी से करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढवाया गया तथा दोनों गवाहान से ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति प्राप्त की गई तथा दिनांक 09.1.2022 को परिवादी द्वारा संदिग्ध आरोपी श्री दीपचन्द सांखला, एम0ओ0 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय रिश्वत में दिये गये 1000 रू0 की राशि के 500–500 रू0 के दोनों नोटों के नम्बरों के बारे में दोनों गवाहान को अवगत करवाया गया।

तत्पश्चात वक्त करीब 08.10 ए00एम पर स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एवं संदिग्ध आरोपी श्री दीप चन्द सांखला, प्रबन्धक संचालन(एम0ओ0) के मध्य दिनांक 09.01.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्ड को विभागीय कम्प्यूटर में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई तथा उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वाताओं की कम्प्यूटर की सहायता से तीन सीडी तैयार की गई। जिन पर मार्क क्रमशः ए–1, ए–2 व ए–3 अंकित किये गये। उक्त सीडीयों पर दोनों गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। मार्क शुदा सीडी ए–1 व ए–2 को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील मुहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया तथा सीडी मार्क ए–3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। सिल्डशुदा सीडी मार्क ए–1 व ए–2 को जमा मालखाना करवाया गया।

समय करीब 10.30 ए0एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ने संदिग्ध आरोपी श्री दीप चन्द सांखला, प्रबन्धक संचालन(एम0ओ0) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, तिजारा आगार, जिला अलवर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि के रूप में 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000/–रूपये पेश किये, जिनके नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित किये गये। श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी जाकर कार्यालय की एक टेबल पर साफ अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 5,000/– रूपये के नोटो को रखकर उक्त नोटों पर श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा की जामा तलाशी गवाह श्री मनोज शर्मा से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नम्बरी नोट 5,000/– रूपये को श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाया गया। श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात एक कांच के गिलास में श्री सियाराम कानि0 430 से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस दृष्टान्त से परिवादी व दोनों गवाहान को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफैथलीन की प्रक्रिया के बारे में समझाया गया। परिवादी को रिश्वत राशि देनें के उपरान्त अपने सिर पर हाथ फेर या मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर ईशारा करने के बारे में समझाया गया तथा दोनों गवाहान को भी आवश्यक हिदायत दी गयी। तत्पश्चात मौके पर उपस्थित समस्त ट्रैप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों का एवं ट्रैप बॉक्स में रखी शीशीया, ढक्कन, गिलास, चम्मच इत्यादि का धोवन साबून पानी से किया गया एवं परिवादी को रिश्वत लेन–देन की वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया गया, जिसमें दिनांक 09.01.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय की रिकार्ड वार्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी वार्ता रिकार्ड नही थी। समय करीब 11.00 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द, मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री मनोज शर्मा, श्री उदय सिंह मीणा, परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एवं ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्वश्री भौरेलाल हैड कानि0 33, हरीश चन्द कानि0 503, सियाराम कानि0 430, श्री महेश कुमार कानि0 462, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 288, श्री रामजीत सिंह कानि0 206 मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर साथ लेकर दो प्राईवेट वाहनों से हमराह लेकर वास्ते ट्रैप कार्यवाही बजानिब तिजारा, जिला अलवर के लिये रवाना होकर वक्त करीब 12.15 पी0एम पर तिजारा स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, तिजारा आगार की कार्यशाला (वर्कशॉप) के पास पहुंचा, जहॉ पर दोनों वाहनों को साईड में खडा करवाकर सभी को वाहनों से उतार कर परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा को टेपरिकार्डर चालू करवाकर संदिग्ध आरोपी श्री दीपचन्द सांखला, प्रबन्धक संचालन (एम0ओ0), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, तिजारा आगार के पास उसके कार्यालय में वर्कशॉप के अन्दर जाने के लिये रवाना किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाब्ता के मौका अनुसार अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये प्रबन्धक संचालन (एम0ओ0), तिजारा आगार के कार्यालय के इर्द–गिर्द वर्कशॉप परिसर में परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ।

समय करीब 12.37 पी0एम पर दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद पुत्र श्री हरिराम, ड्राईवर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम तिजारा आगार जिला अलवर ने तिजारा आगार की कार्यशाला मे मुख्य दरवाजे के सामने से अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया। जिसको मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो गवाहान एवं ब्यूरो टीम के सदस्यो द्वारा देखा। इस पर मन् निरीक्षक, उपरोक्त दोनो गवाहान एवं ब्यूरो टीम को हमराह लेकर परिवादी के पास पहुंचा तो परिवादी ने कार्यशाला मे बने पैट्रोल पम्प के पास खडे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया की यही दीपचन्द सॉंखला है। जिस पर परिवादी से ब्यूरो का राजकीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर सोनी कम्पनी बरंग काला को प्राप्त करके उसे बंद कर अपने कब्जे लिया तथा परिवादी ने यह भी बताया कि दीपचन्द सॉंखला एम.ओ. ने मेरे से अभी कुछ समय पहले अपने कार्यालय मे 5,000/– रूपये रिश्वत के अपने दाहिने हाथ से लेकर उन नोटो को अपने दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की

बांयी जेब मे रखे है तथा जब मै ईशारा करने के लिये बाहर आया तो उक्त श्री दीप चन्द साँखला भी अपने कार्यालय से बाहर निकल कर आ गया और पैट्रोल पम्प के पास खडा हो गया। उक्त रिश्वत के 5,000/– रूपये अभी उसकी पेन्ट की बांयी जेब मे ही रखे हुए है। इतने मे ही उक्त व्यक्ति वहाँ पर बने दोनो कमरे के बीच की गली से पीछे की ओर भागकर गया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक एवं ब्यूरो की टीम के सदस्यो ने उक्त दोनो कमरो के घेरा डालकर पीछे गये तो उस व्यक्ति ने अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी साईड की जेब मे से 500–500 रूपये के कुछ नोटो को अपने बांये हाथ से निकाल कर दीवार के पास फैंक दिये और उक्त व्यक्ति वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, को रोका गया। तत्पश्चात परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद भी वहाँ पर उपस्थित आ गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना एवं हमराहियान दोनो गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ का परिचय देते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम पता श्री दीप चन्द पुत्र स्व. श्री रतन लाल साँखला, उम्र 35 साल, निवासी वार्ड नं. 19, मौहल्ला खटीकान नवलगढ पुलिस थाना नवलगढ जिला झुन्झूनु हाल कनिष्ठ अभियन्ता –बी, प्रबन्धक संचालन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम तिजारा आगार, जिला अलवर होना बताया। इस पर उक्त दीप चन्द साँखला से उसके द्वारा दिनांक 09.01.2022 को परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद चालक की तिजारा–उदयपुर मार्ग पर डयूटी लगाने व उसका मैडिकल अवकाश स्वीकृत करने के लिये 06,000 रूपये की रिश्वत माँग करने तथा उक्त क्रम मे दिनांक 09.01.2022 को ही एक हजार रूपये प्राप्त करने तथा अपनी उक्त मांग के क्रम मे शेष रिश्वत राशि 05,000 रूपये अभी लेने के बारे मे पूछा तो वह पहले चुप हो गया और कुछ नही बोला। फिर गिडगिडाने लग गया और कहा कि साहब गलती हो गई माफ कर दो। फिर थोडे समय बाद कुछ सोचकर बताया कि यह लक्ष्मण प्रसाद पिछले महिने माह दिसम्बर 2021 मे 15 दिन अनुपस्थित रहकर आया था जिसके कारण इसे डयुटी से ऑफ किया हुआ था। यह दिनांक 09.01.2022 को मेरे पास कार्यालय मे आया तब इसने अपने उस अवधि का मैडिकल स्वीकृत कर तिजारा–उदयपुर रूट पर डयुटी लगाने के लिए कहा था, तब मैने इससे इसका मेडीकल अवकाश स्वीकृत कर तिजारा–उदयपुर रूट पर डयुटी लगाने के लिए हाँ की थी, मैने इससे कोई रिश्वत के पैसों की मांग नही की। आज यह अभी मेरे पास आया और इसने अपने पास से 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये निकाल कर दिये जिनको मैने अपने दाहिने हाथ मे लेकर उन्हे गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी साईड की जेब मे रख लिये उसके बाद यह मेरे कार्यालय से बाहर निकल कर जाने लगा तो मुझ इस पर कुछ शक हो गया। आपको इसके पास आते ही मैने यहाँ आकर इसके द्वारा दिये गये पांच हजार रूपये को अपनी पेन्ट की बांयी जेब से निकाल कर दीवार के पास फैंक दिये जो अभी वही पर पडे हुए है। इस पर गवाह श्री उदयसिंह से दीवार के पास पडे हुए 500–500 रूपये के नोटों को उठवाकर उससे गिनवाये गये तो उसने नोटो को गिनकर कुल 10 नोट राशि 05,000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों को गवाह के पास सुरक्षित रखवाये गये। श्री दीपचन्द साँखला प्रबन्धक संचालन को अपने साथ लेकर उसके कार्यालय कक्ष मे लाकर बैठाया गया। तत्पश्चात श्री दीपचन्द साँखला प्रबन्धक संचालन के कार्यालय मे रखी बोतल के साफ पानी से ट्रेप बॉक्स मे रखे हुए काँच के दो साफ गिलासों को निकलवाकर उन्हे साफ पानी से घुलवाकर उनमे साफ पानी भरवाकर उनमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर सभी सम्बन्धितों को दिखाया गया, जिसे सभी ने देखकर उक्त दोनों गिलासों के घोल का रंग साफ होना स्वीकार किया। इसके बाद एक गिलास के घोल में आरोपी श्री दीपचन्द साँखला प्रबन्धक संचालन के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो दाहिने हाथ की अगुलियों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सम्बन्धितों को दिखाया गया तो उन्होने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को कॉच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया जाकर चिट चस्पाकर उन पर दोनों गवाहान व परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद एवं आरोपी श्री दीप चन्द साँखला प्रबन्धक संचालन के हस्ताक्षर कराकर धोवन की शीशीयों पर मार्क R-1, R-2 अंकित कर कब्जे ए.सी.बी लिया गया। तत्पश्चात दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री दीपचन्द साँखला प्रबन्धक संचालन के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो बांये हाथ की अगुलियों के धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सम्बन्धितों को दिखाया गया तो उन्होने धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को कॉच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया जाकर चिट चस्पाकर उन पर दोनों गवाहान व परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद एवं आरोपी श्री दीप चन्द साँखला प्रबन्धक संचालन के हस्ताक्षर कराकर धोवन की

शीशीयों पर मार्क L-1, L-2 अंकित कर कब्जे ए.सी.बी लिया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद ने पूछने पर बताया कि मै दिनांक 01.12.2021 को बीमार हो गया था जिसकी सूचना मैने प्रबन्धक संचालन को मय डॉक्टर द्वारा जारी किये गये सिकनेस सर्टिफिकेट सहित भिजवा दी थी, उसके बाद मै बीमारी से ठीक होने पर दिनांक 15.12.2021 को अपनी डयूटी पर उपस्थित हुआ तब मैने डॉक्टर द्वारा जारी मेरे फिटनेश सहित पेश किया था। प्रबन्धक संचालन को मेरी उक्त अवधि का मेरा मैडीकल अवकाश स्वीकृत करना था। परन्तु इन्होने आज दिनांक तक मेरा मेडिकल अवकाश स्वीकृत नही किया। इन्होने मुझे डयूटी से ऑफ कर दिया। मै इनसे कई बार डयूटी पर लगाने एवं मेरा मैडिकल अवकाश स्वीकृत करने के लिये मिला तो ये मेरे से बार बार 6,000 रूपये रिश्वत की मांग करते थे। मै इनको रिश्वत नही देना चाहता था इसलिये मैने दिनांक 09.01.2022 को आपके समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर आप द्वारा दिनांक 09.01.2022 को करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान इन्होने मेरे से मेरा मैडीकल अवकाश स्वीकृत करने की एवज मे 05,000/– रूपये रिश्वत के मांगे तथा तिजारा– उदयपुर रूट पर डयूटी लगातार करने की एवज मे प्रति माह एक हजार रूपये देने हेतु कहते हुए डयूटी लगाने के लिये तत्समय मेरे से 500–500 रूपये के दोनो नोट कुल एक हजार रूपये मांग कर ले लिये और मेरी डयूटी तिजारा–उदयपुर रूट पर लगा दी। आज मै अभी इनके द्वारा दिनांक 09.01.2022 को मेरा मेडीकल अवकाश स्वीकृत करने हेतु तय की गई 5,000/– रूपये की रिश्वत राशि देने हेतु इनके पास कार्यालय मे गया तो मुझे पता चला की आज इन्होने मेरे द्वारा इनको बकाया रिश्वत के पैसे नही देने के कारण मेरी डयूटी वापस हटा दी। इस पर मैने इनसे इस बाबत एवं मेरे मेडिकल अवकाश के बारे मे बात की तो इन्होने मुझे कहा कि पहले तुम काम की बात है वो करो फटाफट अर्थात इन्होने अपने द्वारा तय की गई 5,000/– रूपये की रिश्वत राशि देने हेतु कहा। इस पर मैने अपने पास रखे हुए पाऊडर लगे 5,000/– रूपये की राशि निकाल कर इनको दी तो इन्होने मेरे से नोटों को अपने दाहिने हाथ मे ग्रहण कर उसे अपने दोनो हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी साईड की जेब मे रख लिये थे। तत्पश्चात मौके से गवाह उदयसिंह से उठवाई गई पांच हजार रूपये की रिश्वत राशि जो उसके पास रखवाई गई थी के नोटो के नम्बरो का पूर्व की मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुदर्गी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरो से बरामदशुदा राशि के नोटो के नम्बरो का मिलान करवाये तो दोनो गवाहन ने बरामदशुदा नोटो के नम्बरो का हुबहु मिलान होना बताया। इस पर बरामदशुदा नोटों का विवरण फर्द बरामदगी में करवाया जाकर उक्त बरामद शुदा 05,000 रूपये के नोटो के नम्बरो का पुनः मिलान करवाकर नोटो को एक सफेद कागज मे लिपेट कर उस कागज पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर बरामदशुदा राशि पांच हजार रूपये के नोटो को वजह सबूत कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। तत्पश्चात श्री दीपचन्द साँखला प्रबन्धक संचालन से उसके द्वारा दिनांक 09.01.2022 को परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद से प्राप्त किये गये 1,000 रूपये के बारे मे पूछा गया तो उसने उक्त राशि लेने से पुनः मना किया। तत्पश्चात श्री दीपचन्द साँखला प्रबन्धक संचालन के पहनने हेतु उसके किराये के कमरे से उसका लॉवर मंगवाया जाकर उसे पहनने हेतु दिया गया। श्री दीपचन्द साँखला प्रबन्धक संचालन ने अपने शरीर पर पहनी हुई पेन्ट उतारकर पेश की जिसकी तलाशी गवाह श्री मनोज शर्मा से लिवाई तो उसने उक्त श्री दीपचन्द साँखला प्रबन्धक संचालन की पहनी हुई उताकर पेश की गई पेन्ट के पीछे की जेब से एक पर्स निकाला। उक्त पर्स को गवाहन से चैक करवाया गया तो पर्स के आगे की जेब मे 500–500 रूपये के 19 नोट कुल राशि 9,500/– रू. मिले तथा पर्स के दूसरी जेब मे 10–10 रूपये के 4 नोट एवं एक 20 रूपये का नोट कुल 60 रूपये, ड्राईविंग लाइसेंस, आयकर पेन कार्ड, ए.टी. एम. कार्ड इत्यादि मिले। श्री दीपचन्द साँखला प्रबन्धक संचालन से उक्त बरामदशुदा 9,560/– रूपये के बारे मे पूछा तो उसने बताया कि मैने दिनांक 01.01.2022 को नवलगढ ए.टी.एम. से 30,000 रूपये अपने घर खर्च के लिये निकाले थे जिनमे से 20 हजार रूपये मै अपने घर पर देकर आया था, बाकी राशि 10,000 रूपये मै अपने खर्चे के लिये अपने साथ लेकर दिनांक 7.1.2022 को अपनी डयूटी पर आया था। उक्त 500–500 रूपये के नोटों के नम्बरो का परिवादी द्वारा दिनांक 09.01.2022 को आरोपी श्री दीपचन्द को दी गई 1,000 रूपये की रिश्वत राशि के 500–500 रूपये के नोटो की महेश कुमार कानि0 द्वारा खिची हुई प्रस्तुत की गई फोटों मे अंकित 500–500 रू. के दोनो नोटो के नम्बरो से मिलान करवाया गया तो उनमे से 500–500 रूपये के दो नोटो के नम्बरो का मिलान हुबहू होना पाया गया। इस पर उक्त आरोपी दीपचन्द द्वारा उससे बरामदशुदा उक्त 9560 रूपये के बारे मे दिया गया स्पष्टीकरण संतोषप्रद नही होने से आरोपी के पर्स से बरामदशुदा राशि 9560 रूपये मे से

500–500 रूपये के दो नोट जो इनके द्वारा परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद चालक से दिनांक 09.01.2022 को रिश्वत राशि की मांग के सत्यापन के दौरान प्राप्त किये गये थे, वह नोट मिले है, उन दोनो नोटो का विवरण फर्द बरामदगी में अंकित करवाया जाकर उक्त बरामद शुदा 1,000 रूपये की राशि के 500–500 रू0 के दोनों नोटों के नम्बरो का उपरोक्त नम्बरो से पुनः मिलान करवाकर नोटो को अलग से एक सफेद कागज मे लिपेट कर उस कागज पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर बरामदशुदा राशि एक हजार रूपये के नोटो को वजह सबूत कब्जे ए.सी.बी. लिया गया तथा आरोपी दीपचन्द सांखला के पास से बरामदशुदा शेष राशि 8,560/– रूपये को भी इनके द्वारा डिपो के अन्य वाहन चालको से उनकी डयूटी लगाने की एवज मे बतौर रिश्वत प्राप्त की हुई संदिग्ध राशि मानते हुए अनुसंधान हेतु कब्जे लिया गया तथा आरोपी का पर्स मय दस्तावेजो सहित आईन्दा इनके परिजनो के उपस्थित आने पर उन्हे सुपुर्द करने हेतु सुरक्षित ट्रेप बॉक्स मे रखवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय परीसर मे रखे हुए पानी से एक बोतल मे साफ पानी मंगवाया गया। तत्पश्चात ट्रेप बाक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उसे उक्त पानी से धुलवाया गया एवं उक्त कांच के गिलास मे साफ पानी भरवाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर उसका घोल तैयार करवाकर हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त गिलास के घोल मे आरोपी श्री दीपचन्द साँखला प्रबन्धक संचालन के शरीर से उतराई गई पेन्ट की बांयी जेब को उलटवाकर उक्त गिलास के घोल मे डूबो कर उसका घोवन लिया गया तो गिलास के घोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सम्बन्धितो को दिखाकर उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क P-1, P-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। तत्पश्चात उक्त पेन्ट की बांयी जेब को सूखा कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन्ट बरंग स्लेटी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित रखकर सिल्ड मोहर कर थैली पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे मार्क P से चिन्हित कर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद चालक एवं आरोपी श्री दीप चन्द साँखला प्रबन्धक संचालन से अलग–अलग एवं एक साथ करके आपस मे कोई रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने या कोई आपसी रंजिश होने के बारे में पूछा गया तो उक्त दोनो ने ना तो आपसी रंजिश होना या ना ही रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने बाबत बताया। आरोपी श्री दीप चन्द साँखला प्रबन्धक संचालन को परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद के मैडिकल अवकाश बाबत प्रस्तुत किये गये कागजात के बारे मे पूछा गया तो उसने अपने कार्यालय की टेबल की दराज मे होना बताया। तत्पश्चात घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया तथा परिवादी के कार्य से सम्बन्धित रिकार्ड आरोपी के कब्जे से जरिये फर्द जब्त किया गया। तत्पश्चात श्री दीप चन्द सांखला, प्रबन्धक संचालन(एम0ओ0), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, तिजारा आगार, तिजारा, जिला अलवर को जुर्म से आगाह कर हस्ब कायदा अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 मे जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात समय करीब 06.30 पी0एम0 पर दोनों स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष परिवादी एवं आरोपी श्री दीपचन्द सांखला, प्रबन्धक संचालक(एम0ओ0) के मध्य दिनांक 11.01.2022 को रिश्वत लेन–देन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्ड को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई तथा उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की लैपटाप की सहायता से तीन सीडी तैयार की गई। जिन पर मार्क क्रमशः बी–1, बी–2 व बी–3 अंकित किये गये। उक्त सीडीयों पर दोनों गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। मार्क शुदा सीडी बी–1 व बी–2 को एक सफेद कपडे की थेली में डालकर सील मुहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया तथा सीडी मार्क बी–3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 8 GB के फोल्डर नं. 01 मे रिश्वत माँग सत्यापन एवं रिश्वत राशि लेने देने के वक्त की वार्तालाप रिकॉर्ड की हुई है। उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 8 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर परिवादी, उक्त दोनो गवाहान एवं मन् ट्रेप अधिकारी द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर किये हुए थे, के अन्दर लपेट कर एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क S अंकित कर वजह सबूत कब्जे लिया गया। ट्रैप कार्यवाही में प्रयोग में ली गई, कार्यालय की नमूना ब्राशसील नं.

28 पीतल को बाद कार्यवाही दोनों स्वतंत्र गवाहान के सम्मुख मौके पर ही तुडवाकर नष्ट करवाई गई। परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा को मौके से रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 09.45 पी0एम पर मन पुलिस निरीक्षक, मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, हमराही जाब्ता एवं गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री दीप चन्द सांखला, प्रबन्धक संचालन(एम0ओ0), तथा जब्तशुदा रिश्वती राशि, संदिग्ध राशि व सील्डशुदा आर्टिकल्स, ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर, के दोनों वाहनों से मौके से रवाना होकर समय करीब 11.55 पी0एम पर एसीबी कार्यालय पहुँचा। दोनों गवाहान को रवाना किया गया। ट्रैप कार्यवाही के दौरान जब्त व सील्ड शुदा आर्टिकल्स व जब्त शुदा रिश्वती राशि, संदिग्ध राशि जमा मालखाना करने हेतु श्री भौरे लाल मुख्य आरक्षक 33 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया।

अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से श्री दीप चन्द सांखला, कनिष्ठ अभियन्ता–बी, प्रबन्धक संचालन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम तिजारा आगार, जिला अलवर द्वारा परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, चालक से दिनांक 09.01.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 01.12.2021 से 15.12.2021 तक की अवधि का मैडिकल अवकाश स्वीकृत करने की एवज मे 5,000 रूपये एवं तिजारा–उदयपुर रूट पर डयूटी लगाने की एवज मे प्रतिमाह के एक हजार रूपये की रिश्वत राशि अर्थात कुल 6,000 रूपये की रिश्वत राशि की माँग कर उसमे से माह जनवरी 2022 मे तिजारा– उदयपुर रूट पर डयूटी लगातार लगाने की एवज मे तत्समय ही एक हजार रूपये की रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण कर शेष 5,000 रूपये की रिश्वत राशि ओर लेने हेतु सहमत होना एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान दिनांक 11.01.2022 को अपनी उक्त रिश्वत माँग के क्रम में परिवादी श्री लक्ष्मण प्रसाद से 5,000/– रूपये की रिश्वत राशि अपने दाहिने हाथ से ग्रहण कर उक्त राशि के नोटों को गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी साईड जेब मे रखना एवं ब्यूरो टीम को देखकर भागकर उक्त रिश्वत राशि के 5,000 रूपये को अपनी पेन्ट की बांयी जेब से निकाल कर अपने कार्यालय के बाहर बनी दीवार के पास फेक दिया, जो आरोपी की निशादेही से बरामद होने एवं आरोपी द्वारा दिनांक 9.01.2022 को रिश्वत माँग सत्यापन के दौरान प्राप्त की गई एक हजार रूपये की रिश्वत राशि 500–500 रू0 के दो नोट आरोपी के पर्स से बरामद होने से आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 मे प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री दीप चन्द सांखला पुत्र स्व. श्री रतन लाल साँखला, उम्र 35 साल, निवासी वार्ड नं. 19, मौहल्ला खटीकान, नवलगढ, पुलिस थाना नवलगढ, जिला झुन्झूनु हाल कनिष्ठ अभियन्ता–बी, प्रबन्धक संचालन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम तिजारा आगार, जिला अलवर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को प्रेषित है।

(प्रेमचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अलवर प्रथम, अलवर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री दीप चन्द सांखला, कनिष्ठ अभियंता-बी, प्रबन्धक संचालन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम तिजारा आगार, तिजारा, जिला अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 09/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट कि प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

12/1/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 76-80 दिनांक 12.1.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. कार्यकारी निदेशक प्रशासन, रा.रा.प.निगम मुख्यालय, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।

12/1/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।